

राष्ट्रीय लोक अदालत

अवार्ड (पंचाट)

प्रदीप कुमार सिंधी बनाम राजस्थान सरकार वगै०

वादी प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री अर्जुन लाल सिंधी निवासी ग्राम अकबरपुर
प्रतिवादी राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर अलवर वगै०

प्रकरण संख्या 1/125 सन् 2015

न्यायालय : सहायक कलक्टर, अलवर


- (1) न्यायिक अधिकारी, सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत श्री नरेश सिंह
- (2) सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत श्री प्यारे लाल सोंठवाल


दिनांक : 12.03.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निर्दिष्ट किये गये विवाद में
वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। अतः वाद वादी
खारिज किया जाता है।

न्यायालय फीस यदि किसी पक्षकार द्वारा अदा की गई है तो
संबंधित पक्षकार उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। खर्चा पक्षकारान
अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 12.03.2022 को हमारे हस्ताक्षर से जारी की गई।


न्यायिक अधिकारी
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)